

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा


:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व प्युवाला (ऊ)

भू अभिलेख निरीक्षक गोशरणा की रिपोर्ट तथा. तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार-करेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मियाफलाम करेड़ा हल्का प्युवाला (ऊ) तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 65 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
10	<u>मियाफलाम का खेड़ा</u>	<u>65</u>	<u>अंक पुत्र गोमा</u>	<u>अंक पुत्र गोपी</u>

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 26/10/2021

क्रमांक/न्यायालय /2021 /10

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री अंक भाल पि. गोपी

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा